



बिहार सरकार  
कृषि विभाग

खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव  
2018 के कार्यान्वयन हेतु  
कार्यान्वयन अनुदेश,  
पदाधिकारियों का दायित्व तथा  
प्रखंडवार तिथि का निर्धारण



बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण  
संस्थान (बामेती), पटना



## बिहार सरकार कृषि विभाग

### खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश

#### 1. परिचय :-

कृषि विभाग द्वारा खरीफ मौसम में विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। किसानों को उपादान तथा विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विहित अनुदान सुलभता एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने हेतु व्यापक प्रचार—प्रसार के लिए खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 का आयोजन करने का प्रस्ताव है। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशासनिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी क्षमता के विकास पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला—2018 का आयोजन दिनांक 10 मई, 2018 को 10.00 बजे पूर्वाहन बामेती, बिहार, पटना के सभा भवन में निर्धारित है। राज्य स्तरीय कर्मशाला के उपरांत दिनांक 14 मई, 2018 को प्रमंडल स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया जाएगा। प्रमंडल स्तरीय कर्मशाला के उपरांत दिनांक 17 मई, 2018 को सभी जिला मुख्यालय में प्रशासनिक पदाधिकारी तथा कृषि विभाग से जुड़े पदाधिकारियों/ उपादान बिक्रेताओं/प्रगतिशील किसानों को श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज एवं सीड ड्रिल से धान की खेती, पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की खेती, मौसम परिवर्तन के परिपेक्ष्य में धान की सीधी बुवाई, विभिन्न खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती, जैविक खेती, कृषि यांत्रीकरण, कृषि ऋण, पशुपालन, मत्स्यपालन सहित अन्य संबंधित विषयों में प्रशिक्षित किया जायेगा। जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला के उपरांत प्रत्येक प्रखण्ड के मुख्यालय में प्रखण्ड स्तरीय खरीफ अभियान—2018 आयोजित किया जाएगा। प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण दिनांक 23 मई 2018 से 31 मई 2018 तक आयोजित किया जायेगा। खरीफ महाभियान—2018 में किसानों को विभिन्न खरीफ फसलों, बागवानी फसलों, बागवानी से संबंधित बीज/उपादान तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत अनुदान पर उपादान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम दिन लाभार्थी/किसान को कृषि की उन्नत तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी एवं दूसरे दिन से कृषि योजनाओं के लिए अनुदान पर उपादान वितरण किया जाएगा।

## 2. खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 का विभिन्न चरणों में आयोजन –

खरीफ महाभियान 2018 को सफल बनाने हेतु विभिन्न चरणों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए तिथि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है –

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	निर्धारित तिथि	आयोजन स्थल	कार्यक्रम का उद्देश्य
1.	राज्य स्तरीय खरीफ महाभियान—सह— महोत्सव, 2018 का शुभारंभ (राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन)	10 मई, 2018 को 10.00 बजे पूर्वाहन	बामेती परिसर, पटना	योजनावार, जिलावार, कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी जानकारी एवं रणनीति तथा प्रसार पदाधिकारियों का क्षमतावर्द्धन।
2.	प्रमंडल स्तरीय खरीफ कर्मशाला—सह— प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	14 मई, 2018 को 10.30 बजे पूर्वाहन	सभी प्रमंडलीय मुख्यालय	कृषि एवं संबद्ध विभाग के पदाधिकारियों को खरीफ मौसम की प्रस्तावित योजनाओं / कार्यक्रमों की तकनीकी एवं प्रशासनिक दायित्वों की जानकारी सहित क्षमता का विकास।
3.	जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला—सह—प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	17 मई, 2018 को 10.30 बजे पूर्वाहन	सभी जिला मुख्यालय	खरीफ मौसम की खेती एवं अन्य कृषि कार्य के लिए जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों / प्रसार कर्मियों एवं स्टेक होल्डर्स का विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं उनके लक्ष्य की जानकारी एवं प्रशिक्षण
4.	श्रव्य यंत्रों, तकनीकी बुलेटिनों, बीज एवं बीजोपचार कीटनाशी रसायनों से युक्त कृषि महाभियान —सह—बीज वाहन विकास वाहन रथों को हरी झण्डी दिखाकर जिलों के लिए रवानगी।	19 मई, 2018 को 10.30 बजे पूर्वाहन	पटना मुख्यालय	विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों / महाभियान के संबंध में आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराना तथा किसानों को बीज एवं बीजोपचार कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराना।
5.	प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण कार्यक्रम	23—31 मई, 2018 को 10.30 बजे पूर्वाहन	सभी प्रखंड मुख्यालय	विभागीय योजनाओं / कार्यक्रमों के लाभार्थी किसानों सहित अन्य किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं चयनित किसानों के बीच अनुदान पर उपादान का वितरण।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विशेष अनुदेश निम्न प्रकार से है—

- राज्य/प्रमंडल/जिला स्तरीय खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 में विगत 03 वर्षों में भाग लेने वाले किसानों को आमंत्रित नहीं कर कृषि क्षेत्र में नवाचार/प्रगतिशील किसानों को हीं आमंत्रित किया जाए।
- राज्य स्तरीय महाभियान के पूर्व सभी योजनाओं के लिए बीज एवं अन्य उपादानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- प्रत्येक जिला में 02 कृषि महाभियान—सह—बीज वाहन विकास वाहन रथों को प्रचार—प्रसार एवं किसानों को बीज उपचार तथा बीजोपचार कीटनाशी रसायन औन द स्पॉट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इन्हें पंचायतों में घुमाया जाएगा जिसकी व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाए।
- जिला स्तरीय महोत्सव में संबंधित जिला के प्राधिकृत पदाधिकारी निश्चित रूप से भाग लेंगे तथा अपने जिले के खरीफ उत्पादन कार्यक्रम की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे।

**नोट — प्रमंडल/जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी की सहमति/स्वीकृति से की जा सकती है।**

3. खरीफ उत्पादन कार्यक्रम 2018–19 के निम्नलिखित प्रमुख आयाम होंगे —

- i. सी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी किसानों के बीच अनुदान का वितरण।
- ii. बीज वाहन विकास वाहन
- iii. जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण।
- iv. किसानों की आमदनी दुगुनी करने के सुझाव/उपाय
- v. पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपनी
- vi. श्री विधि से धान की खेती
- vii. मौसम के बदलते परिवेश में धान की सीधी बुवाई
- viii. सघन बागवानी मिशन
- ix. किसान पुरस्कार कार्यक्रम
- x. कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह/कृषक उत्पादक संगठन का गठन
- xi. किसान पाठशाला का आयोजन
- xii. समेकित कृषि प्रणाली

4. प्रमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले खरीफ कर्मशाला में भाग लेने के लिए राज्य स्तर से एक वरीय पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। प्रमंडलवार पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति का विवरण निम्न प्रकार से है —

- |                      |  |
|----------------------|--|
| • पटना प्रमंडल       | — श्री गणेश कुमार, निदेशक, बामेती                |
| • मुजफ्फरपुर प्रमंडल | — श्री सुनिल कुमार पंकज, संयुक्त निदेशक (उद्यान) |
| • सारण प्रमंडल       | — श्री डी0पी0 त्रिपाठी, निदेशक, पी0पी0एम0        |

- सहरसा प्रमंडल
  - पूर्णिया प्रमंडल
  - मुंगेर प्रमंडल
  - भागलपुर प्रमंडल
  - मगध प्रमंडल
  - दरभंगा प्रमंडल
- श्री राम प्रकाश सहनी, संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला
- डा० ब्रजेश कुमार, अपर निदेशक (शस्य)
- श्री बैंकटेश नारायण सिंह, निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी
- श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता, संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), मुख्यालय
- श्री संजय कुमार, संयुक्त निदेशक (शस्य)
- श्री अरुण कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक (सांखिकी)

प्रमंडल स्तरीय आयोजित होने वाले कर्मशाला में होने वाले खर्च का वहन आत्मा योजना के कैफेटेरिया ऑफ एकिटविटी के प्रशिक्षण मद से प्रमंडलीय मुख्यालय के परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किया जाएगा।

5. जिला में अभियान के विभिन्न चरणों की समीक्षा तथा पर्यवेक्षण के लिए जिलावार पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। जिलावार पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति का विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र.सं.	जिला का नाम	जिला के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3
1	अररिया	श्री जय प्रकाश नारायण, उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण)
2	अरवल	श्री सुधीर कुमार मिश्रा, उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण)
3	औरंगाबाद	श्री अशोक कुमार सिन्हा, उप निदेशक, भूमि संरक्षण
4	बांका	श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक—सह—प्रभारी पदाधिकारी, बीज गुणन प्रक्षेत्र
5	बेगुसराय	श्री शैलेश कुमार, उप निदेशक, टाल दियारा एवं चौर
6	भागलपुर	श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता, संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), मुख्यालय
7	भोजपुर	श्री दिनेश प्रसाद, संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)
8	बक्सर	डा० ब्रजेश कुमार, संयुक्त निदेशक (शस्य) फसल एवं प्रक्षेत्र
9	दरभंगा	श्री अनिल कुमार झा, उप निदेशक (शस्य) पी०पी०एम०
10	पूर्वी चम्पारण	श्री राम बाबू, उप निदेशक—सह—प्रभारी पदाधिकारी, रा०खा०सु०मि०
11	गया	श्री संजय कुमार, संयुक्त निदेशक (शस्य)
12	गोपालगंज	श्री सर्वजीत कुमार, उप निदेशक
13	जमुई	श्री मिलन राय, उप निदेशक (बीज विश्लेषण)
14	जहानाबाद	श्री आदित्य नारायण राय, संयुक्त निदेशक (शिक्षा)—सह—नियंत्रक, माप तौल
15	कैमूर	श्री अविनाश कुमार, उप निदेशक (पौधा संरक्षण)

क्र.सं.	जिला का नाम	जिला के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
16	कटिहार	श्री राम गोपाल पाण्डेय, उप निदेशक (शस्य) योजना
17	खगड़िया	श्री रमेश प्रसाद राउत, उप निदेशक (बीज)
18	किशजगंज	श्री विभू विद्यार्थी, उप निदेशक, उद्यान
19	लखीसराय	श्री उदय सिंह, उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण
20	मधेपुरा	डा० राकेश कुमार, उप निदेशक, उद्यान
21	मधुबनी	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक, कृषि, अभियंत्रण
22	मुंगेर	श्री बैकटेश नारायण सिंह, निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी
23	मुजफ्फरपुर	श्री गुलाब यादव, निदेशक, भूमि संरक्षण
24	नालंदा	श्री ओम प्रकाश, उप निदेशक (शस्य) सूचना
25	नवादा	डा० प्रमोद कुमार, उप निदेशक (सर्विलेन्स) पौधा संरक्षण
26	पटना	श्री पंकज कुमार, संयुक्त निदेशक, उद्यान
27	पूर्णियाँ	डा० अजय कुमार, उप निदेशक, उद्यान
28	रोहतास	श्री कर्लण कुमार सिन्हा, उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी)
29	सहरसा	श्री अर्लण कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी)
30	समस्तीपुर	श्री सुशील कुमार, उप निदेशक (सांख्यिकी)
31	सारण	श्री संजय कुमार, उप निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला
32	शेखपुरा	श्री पवन कुमार, संयुक्त निदेशक, उद्यान
33	शिवहर	श्री ब्रजेश मिश्रा, उप निदेशक (शस्य) पी०पी०एम०
34	सीतामढ़ी	श्री राकेश रंजन, उप निदेशक (शस्य), प्रशिक्षण
35	सिवान	श्री राम प्रकाश सहनी, संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला
36	सुपौल	श्री प्रदीप कुमार, संयुक्त निदेशक, कृषि अभियंत्रण
37	वैशाली	श्री संजय कुमार, उप निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण
38	पश्चिम चम्पारण	श्री अजय कुमार, उप निदेशक (उर्वरक एवं कीटनाशी प्रवर्तन)

- योजना नोडल पदाधिकारी योजनावार/कार्यक्रमवार जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण कर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों एवं सभी संबंधितों को संसूचित करेंगे।
- प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) अपने प्रमंडल अंतर्गत खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव की तैयारी से संबंधित 10 मिनट का प्रस्तुतीकरण करेंगे जिसमें विभिन्न चरणों में महोत्सव का आयोजन, योजनावार/जिलावार/प्रखंडवार लक्ष्य का निर्धारण, अनुदान पर उपादान वितरण की व्यवस्था, प्रखंड स्तरीय शिविर/बीज वाहन विकास वाहन की व्यवस्था, कृषि रथ तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशी एवं अन्य उपादानों की उपलब्धता, प्रखंडवार उपादान बिक्रेताओं को चिन्हित करना आदि को सम्मिलित किया जाएगा।

8. खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 के अवसर पर विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं उपादान वितरण के अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर एक अनुश्रवण कोषांग गठित करने का निर्णय लिया गया है –

- अनुश्रवण कोषांग का संचालन संयुक्त/उप निदेशक (सांख्यिकी) द्वारा किया जाएगा अनुश्रवण के लिए योजनावार प्रगति प्रतिवेदन का एक प्रपत्र प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत विकसित किया जाएगा।
- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन के लिए एक गूगल डॉक पर प्रतिवेदन प्रपत्र विकसित किया जाएगा जिसमें जिलों द्वारा योजनावार/ कार्यक्रमवार प्रगति प्रतिवेदन अपलोड किया जाएगा।

जिलों से ईमेल/गूगल डॉक के माध्यम से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त कर इसे समेकित कर कृषि निदेशक, बिहार, पटना के माध्यम से प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना के समक्ष सांख्यिकी कोषांग द्वारा उपस्थापित किया जाएगा।

## 9. कार्यक्रम का उद्देश्य –

- 9.1. धान की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु पंक्ति में ही धान लगाने, समय से बुवाई, सिंचाई, जल प्रबंधन के साथ—साथ श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज एवं सीड ड्रिल के उपयोग का व्यापक प्रचार—प्रसार, धान की सीधी बुवाई, पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की खेती, बागवानी फसलों से संबंधित कार्यक्रम इस महोत्सव के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान पर उपादान चयनित किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 9.2. कृषि विभाग द्वारा राज्य में विशेषकर खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कलस्टर एप्रोच के माध्यम से किसानों को सभी प्रकार के उपादान तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत CFMS/DBT द्वारा अनुदान की व्यवस्था खरीफ महाभियान—2018 के माध्यम से की जाएगी।
- 9.3. खरीफ फसलों में कीट—व्याधि के प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से अनुशंसित बीजों की उपलब्धता के साथ—साथ किसानों को खरीफ मौसम में उगायी जाने वाली फसलों की खेती को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 9.4. आत्मा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित किसान पाठशाला तथा प्रत्यक्षण के लिए चयनित किसानों को प्रशिक्षण के साथ – साथ विहित उपादान का वितरण खरीफ महाभियान—2018 के दौरान किया जाएगा।
- 9.5. खरीफ अभियान—2018 में बागवानी फसलों विशेषकर सब्जियों जैसे बैगन, भिंडी, बोरा एवं अन्य सब्जी फसलों के जैविक विधि से उत्पादन पर किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ चयनित किसानों को बागवानी की योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा।
- 9.6. इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को धान्य फसलों, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती एवं ईख से संबंधित कठिनाइयों का निराकरण प्रखंड स्तर पर वैज्ञानिकों तथा कृषि एवं संबद्ध विभागों के प्रसार पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। कृषि एवं संबद्ध विभागों के प्रसार कार्यकर्ताओं, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों तथा किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य किया जायेगा।

- 9.7. कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जायेगी तथा योजना का लाभ लेने हेतु अनुदान प्राप्ति संबंधी आवेदन भी प्राप्त किया जायेगा जिसे उचित माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषि विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों का आवेदन पत्र किसानों को भरने में पदाधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। राज्य स्तर पर विभिन्न किसानोपयोगी योजनाओं के उद्देश्य को पूरा करने में जमीनी समस्याओं का आकलन किया जायेगा तथा इसे बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने हेतु रणनीति भी तैयार की जायेगी एवं किसानों को आ रही कठिनाइयों को रेखांकित कर उनका निराकरण जिला स्तर पर करने का प्रयास भी किया जायेगा।
- 9.8. इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान उत्पादक संगठन प्रूवं कृषक हित समूह का निर्माण करके किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा बाजारोन्मुखी उत्पादन हेतु प्रेरित करने हेतु कृषि विपणन में अधिक सहभागिता के लिए जागरूक करना भी शामिल किया जायेगा।
- 9.9. स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली, वर्मी कम्पोस्ट, एच.डी.पी.ई. पाइप, पॉली हाउस, कृषि यांत्रिकरण एवं जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत बायो गैस आदि के आवेदन पत्र लक्ष्य के अनुसार प्राप्त किए जायेंगे।
- 9.10. कृषि ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा इस संबंध में जानकारी दने के लिए संबंधित जिला के बैंक पदाधिकारियों तथा सहकारिता विभाग को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा।
- 9.11. भूमि से संबंधित LPC किसानों को निर्गत कराने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय किया जाएगा।
- 9.12. इस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बल दिया जायेगा। इसके लिए सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की भागीदारी खरीफ महाभियान-2018 में सुनिश्चित की जायेगी।
- 9.13. कौशल प्रशिक्षण/प्रशिक्षित किसान/कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह/कृषि/उद्यान की योजना अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थी किसानों को क्रेडिट/ऋण उपलब्ध कराने हेतु उनका परियोजना प्रस्ताव संबंधित बैंक को भेजा जाएगा तथा स्वीकृति संबंधी कार्रवाई की जाएगी।

## 10. प्रस्तावित कार्ययोजना

- 10.1. खरीफ महाभियान-2018 के अंतर्गत कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण-सह-उपादान वितरण शिविर का आयोजन निर्धारित तिथि को किया जाएगा।
- 10.2. प्रखंड स्तरीय खरीफ महोत्सव में अधिक से अधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था आत्मा के माध्यम से की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार सभी समाचार पत्रों/सूचना प्रपत्र आदि के द्वारा कराया जायेगा। साथ ही इन कार्यक्रमों की सूचना प्रखंड के जन प्रतिनिधियों को भी दी जाएगी।
- 10.3. कृषकों को कृषि एवं उद्यान से संबंधित किसानोपयोगी कार्यक्रम, जो सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं, का तकनीकी बुलेटिन उपलब्ध कराया जायेगा।
- 10.4. प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष प्रखण्ड तकनीकी दल (आत्मा) इस कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड तकनीकी दल के अन्य सदस्यों के सहयोग से करेंगे। वे इस कार्यक्रम में प्रखंड

कृषक सलाहकार समिति का भी सहयोग प्राप्त करेंगे एवं कार्यक्रम में अधिक से अधिक कृषक की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु इनकी सहायता प्राप्त करेंगे।

- 10.5. जिलों से संबंधित प्रखण्डों में वैज्ञानिक, जो कृषि विज्ञान केन्द्र या डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय के हों, को लाने की व्यवस्था परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10.6. कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान प्रयास करेंगे। यदि केन्द्रों में वैज्ञानिकों की कमी है तो डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय/निकटवर्ती कृषि कॉलेजों/अनुसंधान केन्द्रों से वैज्ञानिकों की भागीदारी सुनिश्चित करायेंगे।
- 10.7. किसान पाठशाला के संचालक एवं लाभार्थी कृषक भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
- 10.8. सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (IPM) के बारे में कृषकों को प्रशिक्षित करेंगे।
- 10.9. प्रत्येक प्रखंड में **कृषि महाभियान–सह–बीज वाहन विकास वाहन रथ** के माध्यम से खरीफ महाभियान–2018 के कार्यक्रमों, जो किसान हित में चलाये जा रहे हैं, को बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से प्रचारित कराया जायेगा। उक्त रथ में श्रव्य उपकरण (पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाहन में बीज एवं बीजोपचार कीटनाशी रसायन रखा जाएगा तथा ऑन द स्पॉट किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- 10.10. फलों एवं सब्जियों के उत्पादकता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई एक महत्वपूर्ण श्रोत है। प्रखंड स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई के अनुदान हेतु आवेदन पत्र संग्रहित किया जायेगा। सहायक निदेशक उद्यान इस कार्य को कार्यान्वित करेंगे।
- 10.11. परियोजना निदेशक (आत्मा) कृषि रथों को सुसज्जितकर निर्धारित तिथि को बामेती भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- 10.12. सहकारिता विभाग द्वारा कृषि ऋण एवं फसल बीमा हेतु कैम्प लगाया जायेगा।
- 10.13. कृषकों की सफलता की कहानी एवं विभिन्न विषयों पर तकनीकी सी.डी. भी कृषकों को दिखायी जायेगी। कार्यक्रम में मल्टी मिडिया प्रोजेक्टर का उपयोग किया जायेगा तथा आत्मा/बामेती द्वारा निर्माण की गई किसानों के सफलता की कहानी मल्टी मिडिया प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जायेगी। प्रत्येक जिला को बामेती द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की कहानियों से संबंधित 05–05 सी०डी० दी जाएगी।
- 10.14. प्रमंडल स्तरीय खरीफ कर्मशाला का उद्घाटन प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय खरीफ महाभियान–सह–महोत्सव 2018 का शुभारंभ जिले के 20 सूत्री प्रभारी मंत्री से करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के माननीय स०वि०स०/स०वि०प० से अनुरोध किया जाएगा। यदि माननीय मंत्री/सांसद भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो माननीय मंत्री/सांसद इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, माननीय स०वि०स०/स०वि०प० मुख्य अतिथि होंगे। इनकी अनुपस्थिति में प्रखण्ड प्रमुख इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

10.15. उप कृषि निदेशक (शास्य) सूचना कार्यक्रम के पूर्व सभी समाचार पत्रों में इस कार्यक्रम का विज्ञापन प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

10.16. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि से संबंधित योजनाओं (कार्यक्रम तथा अनुदान की राशि), सहायक निदेशक उद्यान द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन/अन्य कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं के लिए अनुदान राशि का वितरण अभियान के अवसर पर किया जाएगा। परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किसान पाठशाला एवं फसल प्रत्यक्षण हेतु अनुदान पर उपादान का वितरण शिविर में किया जाएगा।

## 11. प्रखंड स्तरीय टीम का गठन

प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु समन्वय के लिए टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है—

- डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय/राज्य कृषि महाविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक
- प्रखंड विकास पदाधिकारी
- प्रखंड कृषि पदाधिकारी (संयोजक)
- प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी
- प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक
- कृषि समन्वयक
- सहायक तकनीकी प्रबंधक
- उद्यान पदाधिकारी/निरीक्षक
- अध्यक्ष, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति
- पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक
- प्रखंड कृषक सलाहकार समिति (आत्मा) के सदस्य/अध्यक्ष
- किसान सलाहकार
- प्रगतिशील कृषक
- गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि
- अन्य पदाधिकारी

### टीम के कार्य

- प्रखंड स्तरीय टीम प्रखंड में जाकर कृषि प्रसार एवं कृषक कल्याणार्थ विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं तथा कृषि साख से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रस्तावित कार्य योजना के सभी कार्य संपादित कराना।

### अनुश्रवण

- कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य स्तर पर प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना की देख-रेख में निदेशक कृषि/उद्यान/भूमि संरक्षण/बामेती द्वारा किया जाएगा तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त की देख-रेख में प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शास्य) द्वारा इस कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाएगा।
- कृषि विभाग द्वारा जिलों के लिए प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी पूरे कार्यक्रम का समन्वय एवं अनुश्रवण करेंगे।

- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का अनुश्रवण संबंधित जिल कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कार्यक्रम का अनुश्रवण प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- कार्यक्रम आयोजन की जवाबदेही संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी।

## **12. खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 के आयोजन पर संभावित व्यय—**

कार्यक्रम के लिए निधि की व्यवस्था जिलों में आत्मा के लिए निर्धारित विभिन्न कैफेटेरिया यथा B-2, B-4, B-8, B-9, B-12, & E-2 में उपलब्ध राशि से की जायेगी। साथ हीं जिला कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक उद्यान भी इस कार्य हेतु प्रशिक्षण के लिए राशि परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना निदेशक (आत्मा) इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। अतः वे संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर किस विभाग द्वारा कितनी राशि खर्च की जाएगी का निर्धारण जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद की सहमति के उपरांत करेंगे।

## **13. महाभियान—सह—महोत्सव के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु विभिन्न स्तर पर समितियाँ का गठन**

कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु समितियों का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है—

### **प्रखंड स्तरीय समिति**

- |  |              |
|--|--------------|
| ● प्रखंड विकास पदाधिकारी                           | — अध्यक्ष    |
| ● अध्यक्ष, प्रखंड कृषक सलाहकार समिति               | — सदस्य      |
| ● प्रखंड तकनीकी प्रबंधक                            | — सदस्य      |
| ● प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्यगण            | — सदस्य      |
| ● प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी                 | — सदस्य      |
| ● प्रखंड कृषि पदाधिकारी—सह—संयोजक प्रखंड तकनीकी दल | — सदस्य सचिव |

### **जिला स्तरीय समिति**

- |  |             |
|--|-------------|
| ● जिला पदाधिकारी                                     | — अध्यक्ष   |
| ● उप विकास आयुक्त                                    | — उपाध्यक्ष |
| ● आत्मा प्रबंधन समिति एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्य गण | — सदस्य     |
| ● जिला कृषि पदाधिकारी                                | — सदस्य     |
| ● जिला सहकारिता पदाधिकारी                            | — सदस्य     |
| ● परियोजना निदेशक, आत्मा                             | — संयोजक    |

जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद अपने जिले में खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

### प्रमंडल स्तरीय समिति

- प्रमंडलीय आयुक्त — अध्यक्ष
- प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला पदाधिकारी — सदस्य
- अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी — सदस्य
- नाबार्ड/मुख्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि — सदस्य
- संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियाँ — सदस्य
- प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) — संयोजक

प्रमंडलीय आयुक्त अपने जिले में खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

### राज्य स्तरीय समिति

- प्रधान सचिव, कृषि, बिहार — अध्यक्ष
- निदेशक, कृषि — सदस्य
- निदेशक, उद्यान — सदस्य
- निदेशक, पी०पी०एम० — सदस्य
- निदेशक, भूमि संरक्षण — सदस्य
- अपर निदेशक (शस्य) — सदस्य
- उप निदेशक (शस्य) योजना — सदस्य
- निदेशक, बामेती — संयोजक

**खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 में राज्य/प्रमंडल/जिला/प्रखंड स्तर के पदाधिकारी  
के कार्य एवं दायित्व**

क्रमांक	पदाधिकारी	कार्य एवं दायित्व
<b>राज्य</b>		
1.	प्रधान सचिव कृषि, बिहार / निदेशक, कृषि/ निदेशक उद्यान/ निदेशक पी०पी०एम०/ निदेशक, भूमि संरक्षण/ निदेशक बामेती	<ol style="list-style-type: none"> <li>यथासंभव खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 में भाग लेंगे जिससे महाभियान में भाग लेने आए किसानों के साथ – साथ किसान सलाहकार, पदाधिकारियों एवं वैज्ञानिकों का उत्साहवर्द्धन हो सकेगा।</li> <li>खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण।</li> </ol>
2.	कृषि विभाग द्वारा जिलों के लिए प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूरे कार्यक्रम का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेंगे।</li> <li>खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 के लिए प्रखंडों में धान, मक्का, अरहर एवं अन्य खरीफ फसलों से संबंधित सभी उपादान की व्यवस्था सुनिश्चित करने में समन्वय का काम करेंगे।</li> <li>यथासंभव प्रखंडों में आयोजित खरीफ महाभियान में भाग लेंगे। प्रतिदिन प्रधान सचिव, कृषि/निदेशक कृषि को दूरभाष से अथवा मोबाइल से एस.एम.एस. के माध्यम से वस्तु स्थिति से अवगत करायेंगे।</li> </ol>
<b>प्रमंडल</b>		
3.	प्रमंडलीय आयुक्त	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रमंडलीय आयुक्त अपने प्रमंडल में इस अभियान की तैयारी एवं कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करेंगे।</li> </ol>
4.	प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक (शास्य)	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक अपने प्रमंडल अंतर्गत जिले के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण शिविर में भाग लेंगे।</li> <li>प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक (शास्य) प्रमंडल में खरीफ महाभियान का पर्यवेक्षण करेंगे तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कार्यान्वयन एजेन्सियों को सहयोग देंगे।</li> <li>प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के उपादान की व्यवस्था तथा उपादान बिक्रेताओं/कम्पनियों की बैठक कर गुणवत्तापूर्ण उपादान आपूर्ति/व्यवस्था हेतु निदेश देना।</li> <li>कार्यक्रम क्रियान्वयन में किसी प्रकार की असुविधा होने पर निदेशालय तथा विभाग को फैक्स/दूरभाष/ई—मेल से सूचित करेंगे।</li> <li>अपने क्षेत्राधीन जिलों में आयोजित होने वाले शिविर में उपादानों के मूल्य में समरूपता एवं न्यूनतम मूल्य रखने हेतु प्रयास करेंगे।</li> <li>जिलावार एवं कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण।</li> </ol>
<b>जिला</b>		
5.	जिला पदाधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस अभियान की तैयारी एवं कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करेंगे।</li> </ol>
6.	जिला कृषि पदाधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>संपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेवार होंगे।</li> <li>खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 के लिए प्रखंडों में धान, मक्का, अरहर एवं अन्य खरीफ फसलों से संबंधित सभी उपादान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।</li> <li>मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा बीज ग्राम योजना एवं अन्य संभी योजनाओं के लिए आवश्यक उपादान यथा बीज, खाद, कीटनाशी की उपलब्धता तथा महाभियान के दौरान चयनित किसानों को उपादान कीट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।</li> </ol>

क्रमांक	पदाधिकारी	कार्य एवं दायित्व
		<p>4. प्रखंडवार, कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण करना।</p> <p>5. प्रखंडवार कम से कम तीन उपादान बिक्रेताओं को चिन्हित करेंगे।</p> <p>6. खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 का जिले में वृहद प्रचार—प्रसार करेंगे।</p> <p>7. बीज वितरण/प्रत्यक्षण हेतु कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार को अलग—अलग पंजी उपलब्ध करायेंगे। उक्त पंजियों में किसानों की सूचनायें निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अंकित की जाएंगी।</p> <p>8. कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकरण योजना, दियारा विकास योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, नमूप योजना इत्यादि के लक्ष्य के अनुसार कृषकों का चयन करेंगे।</p>
7.	जिला सहकारिता पदाधिकारी	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी उपलब्ध कराना तथा आवेदन पत्र प्राप्त करना।
8.	जिला लीड बैंक प्रबंधक	<p>1. किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना।</p> <p>2. जिला के सभी बैंकों से संबंधित किसानों (किसान क्रेडिट कार्ड) से लंबित आवेदन का त्वरित निष्पादन करेंगे तथा किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन का भी निष्पादन करेंगे।</p>
9.	सहायक निदेशक उद्यान	<p>1. खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 के दौरान समय के अनुसार सुनिश्चित फलों एवं सब्जियों के पौध सामग्री/बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>2. खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 के पूर्व जिलावार बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के उपादानों (पौध सामग्री, बीज, पोर्टटेबुल वर्मी बेड, स्प्रिंकलर सेट, ड्रीप सिंचाई प्रणाली, एच.डी.पी.ई. पाईप, पॉली हाउस आदि) के स्वीकृतादेशों तथा किसानों की संख्या के अनुसार उपादानों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्यान निदेशालय द्वारा चलायी जा रही योजनाओं जिसमें अनुदान की व्यवस्था है का आवेदन का निष्पादन करेंगे तथा चयनित कृषकों को स्वीकृतोदश उपलब्ध करायेंगे।</p> <p>4. उपादानों के वितरण हेतु क्षेत्र सलाहकार/प्राधिकृति कृषि समन्वयक को अलग—अलग पंजी उपलब्ध करायेंगे। उक्त पंजियों में किसानों की सूचनायें निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अंकित की जायेंगी।</p> <p>5. बागवानी के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मार्गदर्शिका तथा संबंधित साहित्य महोत्सव के दौरान किसानों को उपलब्ध करायेंगे।</p> <p>6. प्रखंडवार, कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण।</p>
10.	वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र	<p>1. खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 में खरीफ की फसलों तथा बागवानी से संबंधित तकनीकी जानकारी महाभियान के दौरान किसानों को देंगे।</p> <p>2. डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय से महाभियान के लिए प्रतिनियुक्त वैज्ञानिकों से महाभियान के पूर्व समन्वय करेंगे। प्रतिनियुक्त वैज्ञानिकों को जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रमों की जानकारी तथा संबंधित पाठ्यसामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>3. खरीफ महाभियान के लिए प्रखंडवार तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करेंगे।</p>

क्रमांक	पदाधिकारी	कार्य एवं दायित्व
11.	परियोजना निदेशक, आत्मा	<p>1. प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण को सफल बनाने पर्खण्डवार एवं तिथिवार पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों की सूची तैयार करने विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी एक प्रति निदेशक कृषि, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।</p> <p>2. जिले के प्रभारी माननीय मंत्री से जिले के लिए निर्धारित तिथि के प्रथम दिन जिले के मुख्यालय प्रखण्ड में अभियान की शुभारंभ का अनुरोध करेंगे।</p> <p>3. खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 से संबंधित रूप रेखा की एक प्रति सभी प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>4. खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 में इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित प्रत्यक्षण एवं किसान पाठशाला के क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। प्रत्यक्षण तथा किसान पाठशाला के लिए निर्धारित उपादान का वितरण प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण शिविर के दौरान करेंगे।</p> <p>5. कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह/कृषक उत्पादक संगठन के गठन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करेंगे।</p> <p>6. प्रखण्डों में लगने वाले महाभियान के लिए कृषि महाभियान रथ तथा आवश्यक तकनीकी पुस्तिका पर्याप्त मात्रा में प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>7. कौशल विकास योजना/कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह/अन्य समूह अंतर्गत प्रशिक्षित किसानों को क्रेडिट/ऋण बैंक से दिलाने में सहयोग करना।</p>
12.	सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)	खरीफ महाभियान में शामिल किसानों को फसलों में बीज उपचार एवं समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन के महत्व की जानकारी देंगे।
<b>प्रखण्ड</b>		
13.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	प्रखण्ड अन्तर्गत खरीफ महाभियान तथा उपादान वितरण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
14.	अंचल पदाधिकारी	खरीफ महाभियान के दौरान किसानों को LPC उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
15.	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	<p>1. प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण शिविर का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>2. विभिन्न योजनाओं अंतर्गत प्रखण्डों के लिए निर्धारित लक्ष्यों यथा बीज, उर्वरक, कीटनाशी आदि उपादानों का वितरण, प्रत्यक्षण, यांत्रीकरण आदि हेतु किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक के माध्यम से किसानों का चयन कर महाभियान से पूर्व सूची तैयार करेंगे।</p> <p>3. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड के लिए निर्धारित धान, मक्का, अरहर एवं अन्य खरीफ फसलों से संबंधित अनुज्ञप्ति प्राप्त बीज विक्रेता को खरीफ महाभियान में प्रभेद वार बीज की व्यवस्था के साथ भाग लेने हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>4. श्री विधि से धान प्रत्यक्षण एवं अन्य योजनाओं के लिए चयनित किसानों को बीज क्रय के लिए रसीद तथा अनुदान की राशि का भुगतान DBT के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।</p>

क्र.	पदाधिकारी	कार्य एवं दायित्व
		<p>5. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा बीज ग्राम योजना अंतर्गत आवश्यक बीज की उपलब्धता तथा महाभियान के दौरान चयनित किसानों को बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>6. कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकरण योजना, दियारा विकास योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, आत्मा योजना, फार्म स्कूल इत्यादि के लिए प्राप्त लक्ष्य के अनुसार कृषकों को चयन करेंगे तथा उन्हें स्थीकृति पत्र निर्गत करेंगे।</p> <p>7. प्रखंडों में पंचायतों की संख्या के अनुसार प्रतिदिन उपादान वितरण के लिए औसतन तीन से पाँच पंचायतों को सम्बद्ध करेंगे।</p>
16.	प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
17.	बैंकों द्वारा शिविर में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	संबंधित क्षेत्र के सभी बैंकों से संबंधित किसानों (किसान क्रेडिट कार्ड) के लंबित आवेदन पत्रों का त्वरित निष्पादन करेंगे तथा किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य की जानकारी एवं नया आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।
18.	क्षेत्र सलाहकार(उद्यान)/ प्रतिनियुक्त कृषि समन्वयक	<ol style="list-style-type: none"> <li>संबंधित प्रखंड में बागवानी से संबंधित आवेदनों की सूची तैयार कर किसानवार प्रतिवेदन सहायक निदेशक उद्यान को उपलब्ध करायेंगे।</li> <li>खरीफ महाभियान में तकनीकी सत्र में किसानों के साथ परिचर्चा के दौरान स्वयं उपस्थित रहेंगे।</li> <li>उद्यान निदेशालय द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे तथा योग्य किसानों का चयन करेंगे।</li> </ol>
19.	कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक/ किसान सलाहकार	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण शिविर के आयोजन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सहयोग करेंगे।</li> <li>प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिये प्रखंड स्तर के कृषि/संबद्ध विभाग के सभी पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करके उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।</li> <li>संबंधित पंचायतों में खरीफ महाभियान का प्रचार—प्रसार एवं प्रखंड में आयोजित शिविर में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।</li> <li>पंचायतवार चयनित किसानों की सूची के आधार पर किसानों को खरीफ महाभियान में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।</li> </ol>

निदेशक  
बामेती, बिहार, पटना

**खरीफ महाभियान—सह—महोत्सव 2018 अंतर्गत जिलावार एवं प्रखंडवार प्रशिक्षण  
एवं उपादान वितरण शिविर हेतु तिथि का निर्धारण**

क्र. सं.	प्रखंड का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि	उपादान वितरण की तिथि
<b>1. जिला— पटना</b>			
1.	पटना सदर	23.05.2018	24–28 मई
2.	बख्तियारपुर	23.05.2018	24–28 मई
3.	खुसरूपुर	23.05.2018	24–28 मई
4.	फतुहा	24.05.2018	25–29 मई
5.	दनियांवां	24.05.2018	25–29 मई
6.	बाढ़	24.05.2018	25–29 मई
7.	अथमलगोला	25.05.2018	26–30 मई
8.	मोकामा	25.05.2018	26–30 मई
9.	घोसवरी	25.05.2018	26–30 मई
10.	पंडारक	26.05.2018	27–31 मई
11.	बेलछी	26.05.2018	27–31 मई
12.	मसौढ़ी	26.05.2018	27–31 मई
13.	धनरुआ	27.05.2018	28 मई–01 जून
14.	पुनपुन	27.05.2018	28 मई–01 जून
15.	संपतचक	27.05.2018	28 मई–01 जून
16.	दानापुर	28.05.2018	29 मई–02 जून
17.	फुलवारीशरीफ	28.05.2018	29 मई–02 जून
18.	पालीगंज	29.05.2018	30 मई–03 जून
19.	दुल्हनबाजार	29.05.2018	30 मई–03 जून
20.	विक्रम	30.05.2018	31 मई–04 जून
21.	बिहटा	30.05.2018	31 मई–04 जून
22.	मनेर	31.05.2018	01–05 जून
23.	नौबतपुर	31.05.2018	01–05 जून
<b>2. जिला — नालंदा</b>			
1.	बिहारशरीफ	23.05.2018	24–28 मई
2.	राजगीर	23.05.2018	24–28 मई
3.	सिलाव	23.05.2018	24–28 मई
4.	गिरियक	24.05.2018	25–29 मई
5.	कतरीसराय	24.05.2018	25–29 मई
6.	अस्थावॉ	24.05.2018	25–29 मई
7.	रहुइ	25.05.2018	26–30 मई
8.	बिन्द	25.05.2018	26–30 मई
9.	सरमेरा	26.05.2018	27–31 मई
10.	हरनौत	26.05.2018	27–31 मई
11.	चण्डी	27.05.2018	28 मई–01 जून
12.	करायपरसुराय	27.05.2018	28 मई–01 जून
13.	हिलसा	28.05.2018	29 मई–02 जून
14.	एकंगरसराय	28.05.2018	29 मई–02 जून
15.	इसलामपुर	29.05.2018	30 मई–03 जून
16.	परवलपुर	29.05.2018	30 मई–03 जून
17.	वेन	30.05.2018	31 मई–04 जून
18.	नूरसराय	30.05.2018	31 मई–04 जून
19.	थरथरी	31.05.2018	01–05 जून
20.	नगरनौसा	31.05.2018	01–05 जून

3.	जिला — भोजपुर		
1.	आरा सदर	23.05.2018	24–28 मई
2.	कोइलवर	23.05.2018	24–28 मई
3.	संदेश	24.05.2018	25–29 मई
4.	बड़हरा	24.05.2018	25–29 मई
5.	शाहपुर	25.05.2018	26–30 मई
6.	बिहियाँ	25.05.2018	26–30 मई
7.	जगदीशपुर	26.05.2018	27–31 मई
8.	तरारी	26.05.2018	27–31 मई
9.	पीरो	27.05.2018	28 मई–01 जून
10.	चरपोखरी	27.05.2018	28 मई–01 जून
11.	गड़हनी	28.05.2018	29 मई–02 जून
12.	अगिओँव	29.05.2018	30 मई–03 जून
13.	सहार	30.05.2018	31 मई–04 जून
14.	उदवंतनगर	31.05.2018	01–05 जून
<b>4. जिला — बक्सर</b>			
1.	बक्सर	23.05.2018	24–28 मई
2.	चौसा	23.05.2018	24–28 मई
3.	राजपुर	24.05.2018	25–29 मई
4.	इटाढ़ी	24.05.2018	25–29 मई
5.	नावानगर	25.05.2018	26–30 मई
6.	केसठ	26.05.2018	27–31 मई
7.	चौंगाई	27.05.2018	28 मई–01 जून
8.	डुमराँव	28.05.2018	29 मई–02 जून
9.	सिमरी	29.05.2018	30 मई–03 जून
10.	चककी	30.05.2018	31 मई–04 जून
11.	ब्रह्मपुर	31.05.2018	01–05 जून
<b>5. जिला — कैमूर</b>			
1.	कुदरा	23.05.2018	24–28 मई
2.	चैनपुर	23.05.2018	24–28 मई
3.	चाँद	24.05.2018	25–29 मई
4.	अधौरा	24.05.2018	25–29 मई
5.	भगवानपुर	25.05.2018	26–30 मई
6.	रामपुर	26.05.2018	27–31 मई
7.	भभुआ	27.05.2018	28 मई–01 जून
8.	मोहनिया	28.05.2018	29 मई–02 जून
9.	दुर्गावती	29.05.2018	30 मई–03 जून
10.	रामगढ़	30.05.2018	31 मई–04 जून
11.	नुआँव	31.05.2018	01–05 जून
<b>6. जिला — रोहतास</b>			
1.	सासाराम	23.05.2018	24–28 मई
2.	शिवसागर	23.05.2018	24–28 मई
3.	चेनारी	23.05.2018	24–28 मई
4.	करगहर	24.05.2018	25–29 मई
5.	कोचस	24.05.2018	25–29 मई
6.	दिनारा	25.05.2018	26–30 मई
7.	दावथ	25.05.2018	26–30 मई
8.	सूर्यपुरा	26.05.2018	27–31 मई
9.	बिक्रमगंज	26.05.2018	27–31 मई

10.	काराकाट	27.05.2018	28 मई-01 जून
11.	नासरीगंज	27.05.2018	28 मई-01 जून
12.	अकोढ़ीगोला	28.05.2018	29 मई-02 जून
13.	राजपुर	28.05.2018	29 मई-02 जून
14.	संझौली	29.05.2018	30 मई-03 जून
15.	नोखा	29.05.2018	30 मई-03 जून
16.	डिहरी	30.05.2018	31 मई-04 जून
17.	तिलौथु	30.05.2018	31 मई-04 जून
18.	रोहतास	31.05.2018	01-05 जून
19.	नौहट्ठा	31.05.2018	01-05 जून
7.	<b>जिला – गया</b>		
1.	गया नगर	23.05.2018	24-28 मई
2.	मोहनपुर	23.05.2018	24-28 मई
3.	बोधगया	23.05.2018	24-28 मई
4.	वजीरगंज	24.05.2018	25-29 मई
5.	मानपुर	24.05.2018	25-29 मई
6.	खिजरसराय	24.05.2018	25-29 मई
7.	मोहड़ा	25.05.2018	26-30 मई
8.	बथानी	25.05.2018	26-30 मई
9.	अतरी	25.05.2018	26-30 मई
10.	गुरारु	26.05.2018	27-31 मई
11.	शेरधाटी	26.05.2018	27-31 मई
12.	डोभी	26.05.2018	27-31 मई
13.	फतेहपुर	27.05.2018	28 मई-01 जून
14.	टनकुप्पा	27.05.2018	28 मई-01 जून
15.	गुरुआ	27.05.2018	28 मई-01 जून
16.	बैलांगंज	28.05.2018	29 मई-02 जून
17.	परैया	28.05.2018	29 मई-02 जून
18.	टेकारी	28.05.2018	29 मई-02 जून
19.	कोंच	29.05.2018	30 मई-03 जून
20.	इसामगंज	29.05.2018	30 मई-03 जून
21.	झुमरिया	30.05.2018	31 मई-04 जून
22.	बॉकेबाजार	30.05.2018	31 मई-04 जून
23.	आमस	31.05.2018	01-05 जून
24.	बाराचट्टी	31.05.2018	01-05 जून
8.	<b>जिला – जहानाबाद</b>		
1.	जहानाबाद	23.05.2018	24-28 मई
2.	काको	24.05.2018	25-29 मई
3.	मखदुमपुर	25.05.2018	26-30 मई
4.	रतनीफरीदपुर	26.05.2018	27-31 मई
5.	घोषी	27.05.2018	28 मई-01 जून
6.	हुलासगंज	28.05.2018	29 मई-02 जून
7.	मोदनगंज	29.05.2018	30 मई-03 जून
9.	<b>जिला – अरवल</b>		
1.	अरवल	23.05.2018	24-28 मई
2.	कलेर	24.05.2018	25-29 मई
3.	करपी	25.05.2018	26-30 मई
4.	सोनभद्र वंशी सूर्यपुर	26.05.2018	27-31 मई
5.	कुर्था	27.05.2018	28 मई-01 जून

10.	<b>जिला – औरंगाबाद</b>		
1.	औरंगाबाद	23.05.2018	24-28 मई
2.	बारुन	23.05.2018	24-28 मई
3.	ओबरा	24.05.2018	25-29 मई
4.	दाउदनगर	24.05.2018	25-29 मई
5.	हसपुरा	25.05.2018	26-30 मई
6.	गोह	26.05.2018	27-31 मई
7.	रफीगंज	27.05.2018	28 मई-01 जून
8.	मदनपुर	28.05.2018	29 मई-02 जून
9.	देव	29.05.2018	30 मई-03 जून
10.	कुटुम्बा	30.05.2018	31 मई-04 जून
11.	नवीनगर	31.05.2018	01-05 जून
11.	<b>जिला – नवादा</b>		
1.	नवादा	23.05.2018	24-28 मई
2.	पकरीबरावां	23.05.2018	24-28 मई
3.	वारिसलीगंज	24.05.2018	25-29 मई
4.	काशीचक	24.05.2018	25-29 मई
5.	रोह	25.05.2018	26-30 मई
6.	कौआकोल	25.05.2018	26-30 मई
7.	हिसुआ	26.05.2018	27-31 मई
8.	नारदीगंज	26.05.2018	27-31 मई
9.	नरहट	27.05.2018	28 मई-01 जून
10.	मेसकौर	27.05.2018	28 मई-01 जून
11.	सिरदला	28.05.2018	29 मई-02 जून
12.	रजौली	29.05.2018	30 मई-03 जून
13.	अकबरपुर	30.05.2018	31 मई-04 जून
14.	गोविन्दपुर	31.05.2018	01-05 जून
12.	<b>जिला – मुजफ्फरपुर</b>		
1.	मुशहरी	23.05.2018	24-28 मई
2.	मुरौल	23.05.2018	24-28 मई
3.	कुढ़नी	24.05.2018	25-29 मई
4.	सकरा	24.05.2018	25-29 मई
5.	मोतीपुर	25.05.2018	26-30 मई
6.	साहेबगंज	25.05.2018	26-30 मई
7.	मीनापुर	26.05.2018	27-31 मई
8.	बोचहाँ	26.05.2018	27-31 मई
9.	गायधाट	27.05.2018	28 मई-01 जून
10.	बन्दरा	27.05.2018	28 मई-01 जून
11.	काँटी	28.05.2018	29 मई-02 जून
12.	मङ्गवन	28.05.2018	29 मई-02 जून
13.	सरैया	29.05.2018	30 मई-03 जून
14.	पारु	29.05.2018	30 मई-03 जून
15.	औराई	30.05.2018	31 मई-04 जून
16.	कटरा	31.05.2018	01-05 जून
13.	<b>जिला – पूर्वी चम्पारण</b>		
1.	मोतिहारी	23.05.2018	24-28 मई
2.	तेतरिया	23.05.2018	24-28 मई
3.	फेन्हारा	23.05.2018	24-28 मई
4.	मधुबन	24.05.2018	25-29 मई
5.	पकड़ीदयाल	24.05.2018	25-29 मई

6.	सुगौली	24.05.2018	25–29 मई	9.	सुप्पी	27.05.2018	28 मई–01 जून
7.	रामगढ़वा	25.05.2018	26–30 मई	10.	नानपुर	27.05.2018	28 मई–01 जून
8.	रक्सौल	25.05.2018	26–30 मई	11.	बाजपट्टी	28.05.2018	29 मई–02 जून
9.	आदापुर	25.05.2018	26–30 मई	12.	सुरसंड	28.05.2018	29 मई–02 जून
10.	पताही	26.05.2018	27–31 मई	13.	सोनवरसा	29.05.2018	30 मई–03 जून
11.	ढाका	26.05.2018	27–31 मई	14.	बथनाहा	29.05.2018	30 मई–03 जून
12.	घोड़ासहन	26.05.2018	27–31 मई	15.	परिहार	30.05.2018	31 मई–04 जून
13.	चिरैया	27.05.2018	28 मई–01 जून	16.	झुमरा	30.05.2018	31 मई–04 जून
14.	छौड़ादानो	27.05.2018	28 मई–01 जून	17.	रुन्धीसैदपुर	31.05.2018	01–05 जून
15.	बनकटवा	27.05.2018	28 मई–01 जून	16.	जिला – वैशाली		
16.	तुरकौलिया	28.05.2018	29 मई–02 जून	1.	हाजीपुर	23.05.2018	24–28 मई
17.	हरसिद्धि	28.05.2018	29 मई–02 जून	2.	राघोपुर	23.05.2018	24–28 मई
18.	अरेराज	28.05.2018	29 मई–02 जून	3.	भगवानपुर	24.05.2018	25–29 मई
19.	पहाड़पुर	29.05.2018	30 मई–03 जून	4.	लालगंज	24.05.2018	25–29 मई
20.	संग्रामपुर	29.05.2018	30 मई–03 जून	5.	वैशाली	25.05.2018	26–30 मई
21.	केसरिया	29.05.2018	30 मई–03 जून	6.	गोरौल	25.05.2018	26–30 मई
22.	कोटवा	30.05.2018	31 मई–04 जून	7.	पटेढी बेलसर	26.05.2018	27–31 मई
23.	कल्याणपुर	30.05.2018	31 मई–04 जून	8.	महुआ	26.05.2018	27–31 मई
24.	पिपराकोठी	30.05.2018	31 मई–04 जून	9.	जन्दाहा	27.05.2018	28 मई–01 जून
25.	बंजरिया	31.05.2018	01–05 जून	10.	बिदुपुर	27.05.2018	28 मई–01 जून
26.	चकिया	31.05.2018	01–05 जून	11.	महनार	28.05.2018	29 मई–02 जून
27.	मेहसी	31.05.2018	01–05 जून	12.	राजापाकर	28.05.2018	29 मई–02 जून
14.	जिला – पश्चिम चम्पारण			13.	चेहराकला	29.05.2018	30 मई–03 जून
1.	बैतिया	23.05.2018	24–28 मई	14.	सहदेई बुजुर्ग	29.05.2018	30 मई–03 जून
2.	मझवलीया	23.05.2018	24–28 मई	15.	देसरी	30.05.2018	31 मई–04 जून
3.	नौतन	24.05.2018	25–29 मई	16.	पातेपुर	31.05.2018	01–05 जून
4.	बैरिया	24.05.2018	25–29 मई	17.	जिला – शिवहर		
5.	योगापट्टी	25.05.2018	26–30 मई	1.	शिवहर	23.05.2018	24–28 मई
6.	चनपटिया	25.05.2018	26–30 मई	2.	पिपराही	24.05.2018	25–29 मई
7.	सिकटा	26.05.2018	27–31 मई	3.	झुमरी कटसरी	25.05.2018	26–30 मई
8.	मैनाट्टॉड	26.05.2018	27–31 मई	4.	पुरनहिया	26.05.2018	27–31 मई
9.	नरकटियागंज	27.05.2018	28 मई–01 जून	5.	तरियानी	27.05.2018	28 मई–01 जून
10.	गौनाहा	27.05.2018	28 मई–01 जून	18.	जिला – मुंगेर		
11.	लौरिया	28.05.2018	29 मई–02 जून	1.	सदर मुंगेर	23.05.2018	24–28 मई
12.	रामनगर	28.05.2018	29 मई–02 जून	2.	जमालपुर	24.05.2018	25–29 मई
13.	बगहा – 1	29.05.2018	30 मई–03 जून	3.	धरहरा	25.05.2018	26–30 मई
14.	बगहा – 2	29.05.2018	30 मई–03 जून	4.	बरियारपुर	26.05.2018	27–31 मई
15.	पिपरासी	30.05.2018	31 मई–04 जून	5.	ह0 खड़गपुर	27.05.2018	28 मई–01 जून
16.	मधुबन	30.05.2018	31 मई–04 जून	6.	टेटियाबम्बर	28.05.2018	29 मई–02 जून
17.	भिंतहॉ	31.05.2018	01–05 जून	7.	संग्रामपुर	29.05.2018	30 मई–03 जून
18.	ठकराहॉ	31.05.2018	01–05 जून	8.	तारापुर	30.05.2018	31 मई–04 जून
15.	जिला – सीतामढ़ी			9.	असरगंज	31.05.2018	01–05 जून
1.	परसौनी	23.05.2018	24–28 मई	19.	जिला – जमुई		
2.	चौरौत	23.05.2018	24–28 मई	1.	जमुई	23.05.2018	24–28 मई
3.	बरगनियाँ	24.05.2018	25–29 मई	2.	ई. अलीगंज	23.05.2018	24–28 मई
4.	मेजरगंज	24.05.2018	25–29 मई	3.	सिकन्दरा	24.05.2018	25–29 मई
5.	बेलसंड	25.05.2018	26–30 मई	4.	चकाई	25.05.2018	26–30 मई
6.	बोखरा	25.05.2018	26–30 मई	5.	सोनो	26.05.2018	27–31 मई
7.	पुपरी	26.05.2018	27–31 मई	6.	बरहट	27.05.2018	28 मई–01 जून
8.	रीगा	26.05.2018	27–31 मई	7.	लक्ष्मीपुर	28.05.2018	29 मई–02 जून

8.	गिर्दौर	29.05.2018	30 मई–03 जून
9.	झाझा	30.05.2018	31 मई–04 जून
10.	खैरा	31.05.2018	01–05 जून
<b>20. जिला – लखीसराय</b>			
1.	लखीसराय	23.05.2018	24–28 मई
2.	बड़हिया	24.05.2018	25–29 मई
3.	सुर्यगढा	25.05.2018	26–30 मई
4.	पिपरिया	26.05.2018	27–31 मई
5.	चानन	27.05.2018	28 मई–01 जून
6.	हलसी	28.05.2018	29 मई–02 जून
7.	रामगढ़ चौक	29.05.2018	30 मई–03 जून
<b>21. जिला – शेखपुरा</b>			
1.	शेखपुरा	23.05.2018	24–28 मई
2.	अरियरी	24.05.2018	25–29 मई
3.	शेखोपुरसराय	25.05.2018	26–30 मई
4.	बरबीधा	26.05.2018	27–31 मई
5.	घाटकुसुम्भा	27.05.2018	28 मई–01 जून
6.	चेवाड़ा	28.05.2018	29 मई–02 जून
<b>22. जिला – खगड़िया</b>			
1.	खगड़िया	23.05.2018	24–28 मई
2.	अलौली	24.05.2018	25–29 मई
3.	चौथम	25.05.2018	26–30 मई
4.	मानसी	26.05.2018	27–31 मई
5.	गोगरी	27.05.2018	28 मई–01 जून
6.	परवत्ता	28.05.2018	29 मई–02 जून
7.	बेलदौर	29.05.2018	30 मई–03 जून
<b>23. जिला – बेगुसराय</b>			
1	बेगुसराय	23.05.2018	24–28 मई
2	शाम्हो	23.05.2018	24–28 मई
3	तेघडा	24.05.2018	25–29 मई
4	बखरी	24.05.2018	25–29 मई
5	चेरिया बरियारपुर	25.05.2018	26–30 मई
6	बरौनी	25.05.2018	26–30 मई
7	वीरपुर	26.05.2018	27–31 मई
8	खोदावन्दपुर	26.05.2018	27–31 मई
9	छौड़ाही	27.05.2018	28 मई–01 जून
10	गढ़पुरा	27.05.2018	28 मई–01 जून
11	भगवानपुर	28.05.2018	29 मई–02 जून
12	मंसूरचक	28.05.2018	29 मई–02 जून
13	नावकोठी	29.05.2018	30 मई–03 जून
14	बछवाड़ा	29.05.2018	30 मई–03 जून
15	साहेबपुर कमाल	30.05.2018	31 मई–04 जून
16	बलिया	30.05.2018	31 मई–04 जून
17	डंडारी	31.05.2018	01–05 जून
18	मटिहानी	31.05.2018	01–05 जून
<b>24. जिला – पूर्णिया</b>			
1.	पूर्णियाँ पूर्व	23.05.2018	24–28 मई
2.	कसबा	23.05.2018	24–28 मई
3.	जलालगढ	24.05.2018	25–29 मई
4.	श्रीनगर	24.05.2018	25–29 मई
5.	कोनगर	25.05.2018	26–30 मई
6.	बी०कोठी	25.05.2018	26–30 मई
7.	धमदाहा	26.05.2018	27–31 मई
8.	रूपौली	26.05.2018	27–31 मई
9.	भवानीपुर	27.05.2018	28 मई–01 जून
10.	डगरुआ	27.05.2018	28 मई–01 जून
11.	बायसी	28.05.2018	29 मई–02 जून
12.	अमौर	29.05.2018	30 मई–03 जून
13.	वैसा	30.05.2018	31 मई–04 जून
14.	बनमनखी	31.05.2018	01–05 जून
<b>25. जिला – कटिहार</b>			
1.	कटिहार	23.05.2018	24–28 मई
2.	कोढ़ा	23.05.2018	24–28 मई
3.	फलका	24.05.2018	25–29 मई
4.	बरारी	24.05.2018	25–29 मई
5.	समेली	25.05.2018	26–30 मई
6.	कुर्सेला	25.05.2018	26–30 मई
7.	मनसाही	26.05.2018	27–31 मई
8.	मनिहारी	26.05.2018	27–31 मई
9.	अमदाबाद	27.05.2018	28 मई–01 जून
10.	डण्डखोरा	27.05.2018	28 मई–01 जून
11.	हसनगंज	28.05.2018	29 मई–02 जून
12.	प्राणपुर	28.05.2018	29 मई–02 जून
13.	कदवा	29.05.2018	30 मई–03 जून
14.	बलरामपुर	29.05.2018	30 मई–03 जून
15.	आजमनगर	30.05.2018	31 मई–04 जून
16.	बारसोई	31.05.2018	01–05 जून
<b>26. जिला – किशनगंज</b>			
1.	किशनगंज	23.05.2018	24–28 मई
2.	कोचाधामन	24.05.2018	25–29 मई
3.	बहादुरगंज	25.05.2018	26–30 मई
4.	दिघलबैंक	26.05.2018	27–31 मई
5.	ठाकुरगंज	27.05.2018	28 मई–01 जून
6.	पोठिया	28.05.2018	29 मई–02 जून
7.	टेढ़ागाछ	29.05.2018	30 मई–03 जून
<b>27. जिला – अररिया</b>			
1.	अररिया	23.05.2018	24–28 मई
2.	फारबिसगंज	24.05.2018	25–29 मई
3.	नरपतगंज	25.05.2018	26–30 मई
4.	रानीगंज	26.05.2018	27–31 मई
5.	जोकीधाट	27.05.2018	28 मई–01 जून
6.	पलासी	28.05.2018	29 मई–02 जून
7.	कुर्साकाँटा	29.05.2018	30 मई–03 जून
8.	भरगामा	30.05.2018	31 मई–04 जून
9.	सिकटी	31.05.2018	01–05 जून
<b>28. जिला – सारण</b>			
1.	छपरा सदर	23.05.2018	24–28 मई
2.	दिघवारा	23.05.2018	24–28 मई

3.	दरियापुर	23.05.2018	24–28 मई
4.	जलालपुर	24.05.2018	25–29 मई
5.	परसा	24.05.2018	25–29 मई
6.	रिविलगंज	24.05.2018	25–29 मई
7.	मकेर	25.05.2018	26–30 मई
8.	अमनौर	25.05.2018	26–30 मई
9.	तरैया	26.05.2018	27–31 मई
10.	नगरा	26.05.2018	27–31 मई
11.	एकमा	27.05.2018	28 मई–01 जून
12.	माँझी	27.05.2018	28 मई–01 जून
13.	मढ़ौरा	28.05.2018	29 मई–02 जून
14.	सोनपुर	28.05.2018	29 मई–02 जून
15.	गरखा	29.05.2018	30 मई–03 जून
16.	बनियापुर	29.05.2018	30 मई–03 जून
17.	लहलादपुर	30.05.2018	31 मई–04 जून
18.	इसुआपुर	30.05.2018	31 मई–04 जून
19.	पानापुर	31.05.2018	01–05 जून
20.	मशरख	31.05.2018	01–05 जून

#### 29. जिला – सिवान

1.	सिवान सदर	23.05.2018	24–28 मई
2.	गुठनी	23.05.2018	24–28 मई
3.	दरौली	23.05.2018	24–28 मई
4.	हुसैनगंज	24.05.2018	25–29 मई
5.	आन्दर	24.05.2018	25–29 मई
6.	रघुनाथपुर	25.05.2018	26–30 मई
7.	सिसवन	25.05.2018	26–30 मई
8.	हसनपुरा	26.05.2018	27–31 मई
9.	दरौंदा	26.05.2018	27–31 मई
10.	महाराजगंज	27.05.2018	28 मई–01 जून
11.	बसंतपुर	27.05.2018	28 मई–01 जून
12.	गोरेयाकोठी	28.05.2018	29 मई–02 जून
13.	भगवानपुर हाट	28.05.2018	29 मई–02 जून
14.	लकड़ीनबीगंज	29.05.2018	30 मई–03 जून
15.	बङ्हरिया	29.05.2018	30 मई–03 जून
16.	पचरुखी	30.05.2018	31 मई–04 जून
17.	जीरादेइ	30.05.2018	31 मई–04 जून
18.	नौतन	31.05.2018	01–05 जून
19.	मैरवा	31.05.2018	01–05 जून

#### 30. जिला – गोपालगंज

1.	गोपालगंज	23.05.2018	24–28 मई
2.	बैंकुठपुर	23.05.2018	24–28 मई
3.	सिंधवलिया	24.05.2018	25–29 मई
4.	बरौली	24.05.2018	25–29 मई
5.	कुचायकोट	25.05.2018	26–30 मई
6.	माझा	25.05.2018	26–30 मई
7.	थावे	26.05.2018	27–31 मई
8.	हथुआ	26.05.2018	27–31 मई
9.	उचकागांव	27.05.2018	28 मई–01 जून
10.	फुलवरिया	27.05.2018	28 मई–01 जून
11.	भोरे	28.05.2018	29 मई–02 जून

12.	विजयीपुर	29.05.2018	30 मई–03 जून
13.	कटेया	30.05.2018	31 मई–04 जून
14.	पंचदेवरी	31.05.2018	01–05 जून

#### 31. जिला – दरभंगा

1.	दरभंगा	23.05.2018	24–28 मई
2.	हनुमाननगर	23.05.2018	24–28 मई
3.	कु0 स्थान पूर्वी	24.05.2018	25–29 मई
4.	बहादुरपुर	24.05.2018	25–29 मई
5.	मनीषाची	25.05.2018	26–30 मई
6.	केवटी	25.05.2018	26–30 मई
7.	जाले	26.05.2018	27–31 मई
8.	सिंहबाड़ा	26.05.2018	27–31 मई
9.	हायाघाट	27.05.2018	28 मई–01 जून
10.	बेनीपुर	27.05.2018	28 मई–01 जून
11.	अलीनगर	28.05.2018	29 मई–02 जून
12.	बहेड़ी	28.05.2018	29 मई–02 जून
13.	विरौल	29.05.2018	30 मई–03 जून
14.	गौराबौराम	29.05.2018	30 मई–03 जून
15.	कु0स्थान	30.05.2018	31 मई–04 जून
16.	घनश्यामपुर	30.05.2018	31 मई–04 जून
17.	कीरतपुर	31.05.2018	01–05 जून
18.	तारडीह	31.05.2018	01–05 जून

#### 32. जिला – मधुबनी

1.	राजनगर	23.05.2018	24–28 मई
2.	पण्डौल	23.05.2018	24–28 मई
3.	बाबूरही	23.05.2018	24–28 मई
4.	खुटौना	24.05.2018	25–29 मई
5.	रहिका	24.05.2018	25–29 मई
6.	बिस्फी	24.05.2018	25–29 मई
7.	बेनीपट्टी	25.05.2018	26–30 मई
8.	मधवापुर	25.05.2018	26–30 मई
9.	हरलाखी	25.05.2018	26–30 मई
10.	बासोपट्टी	26.05.2018	27–31 मई
11.	जयनगर	26.05.2018	27–31 मई
12.	लदनियाँ	27.05.2018	28 मई–01 जून
13.	खजौली	27.05.2018	28 मई–01 जून
14.	कलुआही	28.05.2018	29 मई–02 जून
15.	झाङांरपुर	28.05.2018	29 मई–02 जून
16.	अधराठाड़ी	29.05.2018	30 मई–03 जून
17.	लखनौर	29.05.2018	30 मई–03 जून
18.	मधेपुर	30.05.2018	31 मई–04 जून
19.	फुलपरास	30.05.2018	31 मई–04 जून
20.	घोघरडीहा	31.05.2018	01–05 जून
21.	लौकही	31.05.2018	01–05 जून

#### 33. जिला – समस्तीपुर

1.	समस्तीपुर	23.05.2018	24–28 मई
2.	मोहनपुर	23.05.2018	24–28 मई
3.	मोहिउद्दीननगर	23.05.2018	24–28 मई
4.	हसनपुर	24.05.2018	25–29 मई
5.	सिंधिया	24.05.2018	25–29 मई

6	शिवाजीनगर	24.05.2018	25–29 मई
7	सरायरंजन	25.05.2018	26–30 मई
8	पटोरी	25.05.2018	26–30 मई
9	उजियारपुर	26.05.2018	27–31 मई
10	विभूतिपुर	26.05.2018	27–31 मई
11	रोसड़ा	27.05.2018	28 मई–01 जून
12	पूसा	27.05.2018	28 मई–01 जून
13	कल्याणपुर	28.05.2018	29 मई–02 जून
14	खानपुर	28.05.2018	29 मई–02 जून
15	मोरवा	29.05.2018	30 मई–03 जून
16	ताजपुर	29.05.2018	30 मई–03 जून
17	दलसिंहसराय	30.05.2018	31 मई–04 जून
18	विद्यापतिनगर	30.05.2018	31 मई–04 जून
19	बिथन	31.05.2018	01–05 जून
20	वारिसनगर	31.05.2018	01–05 जून
34.	जिला – सहरसा		
1.	कहरा	23.05.2018	24–28 मई
2.	पतरघट	23.05.2018	24–28 मई
3.	सोनवर्षा	24.05.2018	25–29 मई
4.	सौरबाजार	25.05.2018	26–30 मई
5.	सत्तरकटैया	26.05.2018	27–31 मई
6.	महिषी	27.05.2018	28 मई–01 जून
7.	सिमरीबख्तियारपुर	28.05.2018	29 मई–02 जून
8.	सलखुआ	29.05.2018	30 मई–03 जून
9.	बनमाइटहरी	30.05.2018	31 मई–04 जून
10.	नवहट्टा	31.05.2018	01–05 जून
35.	जिला – सुपौल		
1.	सुपौल	23.05.2018	24–28 मई
2.	पिपरा	23.05.2018	24–28 मई
3.	त्रिवेणीगंज	24.05.2018	25–29 मई
4.	किशनपुर	24.05.2018	25–29 मई
5.	सरायगढ़	25.05.2018	26–30 मई
6.	राधोपुर	26.05.2018	27–31 मई
7.	प्रतापगंज	27.05.2018	28 मई–01 जून
8.	छातापुर	28.05.2018	29 मई–02 जून
9.	बसंतपुर	29.05.2018	30 मई–03 जून
10.	निर्मली	30.05.2018	31 मई–04 जून
11.	मरैना	31.05.2018	01–05 जून
36.	जिला – मधेपुरा		
1.	मधेपुरा	23.05.2018	24–28 मई
2.	धैलाड़	23.05.2018	24–28 मई
3.	गम्हरिया	24.05.2018	25–29 मई
4.	शंकरपुर	24.05.2018	25–29 मई
5.	सिंहेश्वर	25.05.2018	26–30 मई
6.	कुमारखण्ड	25.05.2018	26–30 मई
7.	चौसा	26.05.2018	27–31 मई
8.	पुरैनी	26.05.2018	27–31 मई
9.	आलमनगर	27.05.2018	28 मई–01 जून
10.	ग्वालपाड़ा	28.05.2018	29 मई–02 जून
11.	मुरलीगंज	29.05.2018	30 मई–03 जून

12.	बिहारीगंज	30.05.2018	31 मई–04 जून
13.	उदाकिशुनगंज	31.05.2018	01–05 जून
37.	जिला – भागलपुर		
1.	सबौर	23.05.2018	24–28 मई
2.	इस्माइलपुर	23.05.2018	24–28 मई
3.	गोपालपुर	24.05.2018	25–29 मई
4.	शाहकुंड	24.05.2018	25–29 मई
5.	बिहुपुर	25.05.2018	26–30 मई
6.	नाथनगर	25.05.2018	26–30 मई
7.	नारायणपुर	26.05.2018	27–31 मई
8.	जगदीशपुर	26.05.2018	27–31 मई
9.	खरीक	27.05.2018	28 मई–01 जून
10.	सन्धौला	27.05.2018	28 मई–01 जून
11.	रंगराचौक	28.05.2018	29 मई–02 जून
12.	कहलगांव	28.05.2018	29 मई–02 जून
13.	नवगछिया	29.05.2018	30 मई–03 जून
14.	गोराडीह	29.05.2018	30 मई–03 जून
15.	सुलतानगंज	30.05.2018	31 मई–04 जून
16.	पीरपैंती	31.05.2018	01–05 जून
38.	जिला – बाँका		
1.	बाँका	23.05.2018	24–28 मई
2.	बाराहाट	23.05.2018	24–28 मई
3.	बौंसी	24.05.2018	25–29 मई
4.	रजौन	24.05.2018	25–29 मई
5.	घोरैया	25.05.2018	26–30 मई
6.	कटोरिया	26.05.2018	27–31 मई
7.	चांदन	27.05.2018	28 मई–01 जून
8.	बेलहर	28.05.2018	29 मई–02 जून
9.	फुल्लीझूमर	29.05.2018	30 मई–03 जून
10.	शंभूगंज	30.05.2018	31 मई–04 जून
11.	अमरपुर	31.05.2018	01–05 जून

215/18  
निदेशक  
बामेती, बिहार, पटना

बिहार कृषि प्रबंधन एवं  
प्रसार प्रशिक्षण संस्थान  
(बामेती), पटना